न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 14/2017

अपीलकर्ता	बनाम	उतरदातागण
1 बाबू उर्फ मोहम्मद खां पुत्र अलादीन खां जाति मुसलमान तेली निवासी ऊपरवाला कवास तहसील व जिला बाडमेर।		1 ग्राम पंचायत कवास (ढूण्ढा) जरिये सरपंच कवास 2 अकबरखां 3 बादलखां 4 हाजीखां 5 सुभानखां 6 पपूखां पिसरान आसीन खां जाति मुसलमान तेली निवासी उपरलावास कवास 7 नियाज पुत्र नूरेखां जाति मुसलमान निवासी निम्बलानाडा तहसील शिव हाल निवासी उपरलावास कवास तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री कैलश चारण वकील अपीलकर्ता।

2 श्री बांकाराम चौधरी वकील उतरदाता संख्या 02 से 07।

आदेश

दिनांक 21.02.18

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं उत्तरदाता संख्या 02 से 06 की पैतृक सयुक्त खातेदारी की तथा उत्तरदाता संख्या 07 खरिददार की हैसियत की भूमि मौजा ढूंढा–कवास पटवार हल्का कवास तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 884/443 रकबा 18.19 बीघा बारानी सोयम की आई हुई है। उक्त पैतृक भूमि मे अपीलान्ट का 3390/7580 हिस्सा एवं उत्तरदाता संख्या 02 से 06 का 3790/7580 हिस्सा है तथा उत्तरदाता संख्या 7 खरिददार होने से 400/7580 हिस्सा भूमि का हिस्सेदार है। अपीलान्ट के पिता अलादीन पुत्र अजीम के फौत होने पर अलादीन के विधिक वारिसान के रूप में अपीलान्ट एक मात्र जीवित था तब अपीलान्ट ने तत्कालीन हल्का पटवारी एवं सरपंच ग्राम पचायत को अपने पिता की फौतगी पर नामान्तकरण बाबत् निवेदन किया। उत्तरदाता संख्या 01 ने नामान्तकरण संख्या 451 दिनांक 29.11.1988 सर्वसम्मति से पारित किया। उक्त नामान्तकरण में अपीलकर्ता का नाम मोहम्मद खां के स्थान पर घरेलु नाम बाबू अंकित हो गया, जो एक मानवीय भूल एवं लिपिकीय त्रुटी है। अपीलकर्ता का सही नाम राशन कार्ड, बैंक खाता, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड इत्यादी में मोहम्मद खां दर्ज है, जो सही नाम है। हाल ही में उक्त अपीलाधीन भूमि में अपीलान्ट के ताऊ स्वर्गीय आसीन की पुत्रियों ने अपने हिस्से की भूमि का हकतर्क अपने सगे भाईयों उत्तरदाता संख्या 02 से 06 के पक्ष में किया, जिसका नामान्तकरण संख्या 1005/20.09.2017 पारित किया गया। उक्त नामान्तकरण की नकल एवं जमाबन्दी की नकल पटवारी हल्का से दिनांक 27.09.2017 को प्राप्त की तब उसके अवलोकन से नाम की उक्त त्रुटी का ज्ञान हुआ। लिहाजा अपील अन्दरम्याद सुमार फरमाते हुए म्युटेशन संख्या 451 दिनांक 29.11.1988 को परिशोधित करते हुए अपीलकर्ता का नाम बाबू के स्थान पर मोहम्मद खां से नामान्तकरण पारित करने के आदेश फरमावे।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। उतरदाता संख्या 01 बावजूद सुचना अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई शेष उत्तरदाता संख्या 02 से 07

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपील में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकारी दस्तावेजात के आधार पर बाबू के स्थान पर मोहम्मद खां शुद्ध किये जाने का ईकबाली जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण के तथ्यों की जांच तहसीलदार बाडमेर से करवाई गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा बाद जांच, जांच प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि अपीलकर्ता का वर्तमान जमाबन्दी में नाम बाबू पुत्र अलादीन है, परन्तु साक्ष्य के रूप में उसके द्वारा उपलब्ध करवाये गये समस्त दस्तावेजात में उसका नाम मोहम्मद खां अंकित है। बाबू को मोहम्मद खां पुत्र अलादीन के नाम से पुकारते है। बाबू एवं मोहम्मद खां एक ही व्यक्ति है।

वकील अपीलकर्ता की बहस सुनी गई। वकील अपीलकर्ता द्वारा म्याद के बिन्दु पर बहस करते हुए निवेदन किया कि हाल ही में उक्त अपीलाधीन भूमि में अपीलान्ट के ताऊ स्वर्गीय आसीन की पुत्रियों ने अपने हिस्से की भूमि का हकतर्क अपने सगे भाईयों उत्तरदाता संख्या 02 से 06 के पक्ष में किया, जिसका नामान्तकरण संख्या 1005/20.09.2017 पारित किया गया। उक्त नामान्तकरण की नकल एवं जमाबन्दी की नकल पटवारी हल्का से दिनांक 27.09.2017 को प्राप्त की तब उसके अवलोकन से नाम की उक्त त्रुटी का ज्ञान हुआ, तब वकील साहब से मिलकर उक्त त्रुटी सुधार बाबत् अपील प्रस्तुत की।

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त ज्ञात होता है कि अपील अपीलकर्ता द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण जायज है लिहाजा अपील अन्दर म्याद सुमार की जाती है।

तहसीलदार बाडमेर द्वारा भी जांच प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि अपीलकर्ता बाबू का अभिलेख के अनुसार सही नाम मोहम्मद खां है। बाबू एवं मोहम्मद खां एक ही व्यक्ति है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं उत्तरदाता संख्या 02 से 07 द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर, तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं पत्रावली के संलग्न सरकारी दस्तावेजात के मद्देनजर हम इस निस्कर्ष पर पहुचे है कि अपीलकर्ता बाबू का अभिलेख के अनुसार सही नाम मोहम्मद खां है। बाबू एवं मोहम्मद खां एक ही व्यक्ति है। अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर मौजा ढूंढा तहसील बाडमेर के खेत खसरा संख्या 443 में पारित नामान्तकरण संख्या 451 दिनांक 29.11.1988 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बाडमेर को आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता बाबू के स्थान पर मोहम्मद खां नाम अंकित करते हुए नये सिरे से नियमानुसार नामान्तकरण पारित करे तथा तदनुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन करें।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 31.02.16 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

Scanned by CamScanner